एम.ए.सी.पी. संख्या १६५/२०१९
१. श्रीमती रामसखी पत्नी स्व. श्री रामदयाल उम्र लगभग ४४ वर्ष
२. सन्तोष पुत्र स्व. श्री राम दयाल आयु लगभग २६ वर्ष
३. प्रदीप पाल पुत्र स्व. श्री राम दयाल आयु २२ वर्ष
४. दीपक कुमार पुत्र स्व. श्री राम दयाल आयु १८ वर्ष
समस्त निवासीगण ग्राम शेखर पोस्ट पृथ्वीपुर नया खेड़ा थाना बबीना जिला झाँसी

-----याचीगण

प्रति

१. नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र भवानी सिंह निवासी २४९ नेहरू नगर २ ललितपुर उ.प्र.
..........मालिक बुलेरो नं. यू.पी. ९४एन ०१०१
२. चन्द्रभान सिंह यादव पुत्र भगवत सिंह निवासी ६२ देवी मन्दिर के पास नेहरू नगर ललितपुर, उ.प्र.
..........चालक बुलेरो नं. यू.पी. ९४एन ०१०१
३. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिए शाखा प्रबन्धक कचहरी चौराहा के पास झाँसी
...... बीमाकर्ता बुलेरो नं. यू.पी. ९४एन ०१०१

-----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सतीश चन्द्र गुप्ता

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण में उपस्थित आये।

याचीगण द्वारा श्री राम दयाल की मोटर दुर्घटना मे मृत्यु पर यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २४बी पर याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी कि विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २४बी सुलहनामा उभय पक्ष की whatsapp पर उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा आज तस्दीक किया गया। २४बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ५,४९,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २४बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २४बी में दर्शित कुल ₹ ५,४९,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा २४बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २४बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २४बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ५,४९,००० (पाँच लाख उनचास हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. १, २, ३ व ४ क्रमशः ४०, २०, २०, व २० % भाग प्राप्त करेंगे। याची सं. १ लगायत ४ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से प्रत्येक याची २५-२५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की याचीगण के नाम ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.01 13:50:58 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor accident Claim Tribunal
Jhansi